

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज्ञ शदादलत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

कमलेश पुत्री रामकिशोर पत्नि धनराज जाति जाट आयु 30 साल निवासी ग्राम झाडौल तहसील अंराई  
जिला अजमेर राज0 वादीगण

**बनाम**

रामकिशोर पुत्र बदीलाल जाति जाट निवासी ग्राम झाडौल तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण



किस्म मुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज.का.अधि.1955

नंबर 06 / 2022

ऑनलाइन नंबर 2022 / .....

वकील वादीगण भवानी सिंह राठौड

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.01.2022	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 88,188 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अंराई (अजमेर)                 </p>	
28.01.2022	<p>वादीगण की ओर से वकील योगेश्वर शर्मा उप. होकर कमलेश पुत्री, शीघ्र सुनवाई अ.पत्र व राजीनामा तथा वादपत्र पेश करने से पत्रावली मियत तय से पूर्व आप्र.तत्त्व की गई। वादीगण ने अतिरिक्त अधिवक्ता निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत व आप्र. समझौते के आधार पर राजीनामा हो चुका है। वे सब प्रतिवादीगण को अतिरिक्त पत्र मही-चाहते हैं। हमारे द्वारा वकील वादी को सुनवाई वाद में राजीनामा की सहमति में वादीगण के हस्ताक्षर अंकित कराये गये। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली अंततः अन्तः-बिकर नम्बर में कम हो</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अंराई (अजमेर)                 </p>	<p>NOT PRESS</p> <p>कमलेश पुत्री अज्ञ शदादलत उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)</p>

